CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Articles 86 and 175 and omission of articles 87 and 176)

SHRI TENNETI VISWANATHAM: (Visakhapatnam): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: Sir, I introduce the Bill.

CONFERMENT OF DECORATIONS ON PERSONS (ABOLITION) BILL*

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the abolition of the practice of conferring by the State Decorations, such as Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, and for matters connected therewith.

MR. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the abolition of the practice of conferring by the State decorations, such as Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI J. B. KRIPALANI: Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of articles 217 and 224)

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति चाहता हूं।

MR. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं विधेयक को पेश करता हूं।

16.38 hours

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*contd.*

(Amendment of articls 75, 164. etc.) by Shri Kameshwar Singh

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Kameshwar Singh on the 18th April, 1969:—

> "That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Shri Kameshwar Singh may continue his speech. He has already taken 24 minutes. He must give time for others also.

श्री कामेश्वर सिंह (खगरिया) : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब मैं बोला था, तब मैंने अपने बिल में प्रस्तावित धारा 75 तथा 164 के संशोधनों को लिया था। आज मैं अपने बिल के दूसरे भाग यानी धारा 326 के संशोधन को लेना चाहता हूं और वह संशोधन इस प्रकार है—

> "Amendment of Article 326: In Article 326 of the Constitution, for the word 'twenty-one' the word 'eighteen' shall be substituted."

---

* Published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 2, dated 1. 5. 69.

[श्री कामेस्वर सिंह]

इस समय, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां वयस्क मत देने का अधिकार 21 वर्ष वाले को मिलता है, परन्तु मेरे संशोधन के मुताबिक मत देने की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिये। इसके बारे में मेरी जो दलील है, उसे आपके सामने पेश करता हूँ। परन्तु कुछ भी कहने से पहले मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि 16 जुलाई, 1968 को श्री सेनवर्मा, जो हमारे चीफ इलैक्शन कमिशनर हैं, ने मत देने की उम्र 18 या 21 वर्ष होनी चाहिये, इसके बारे में अपना मत प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि 18 वर्ष का लड़का या लड़की अपना मत जूडीशसली एक्सरसाइज नहीं कर सकता—यह बात मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूं। आगे उन्होंने कहा—

> "I have some doubts about it. Mr. Verma further said : By getting the right of voting the adolescents would be very much involved in politics and they would even demand a say in even fixing the examination dates.

16.39 hours

[SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि श्री सेनवर्मा को चीफ़ इलैक्शन कमिश्नर होते हुए ऐसा नहीं कहना चाहिये था कि 18 वर्ष का लड़का या लड़की अपना मत जूडीशसली एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उन्होंने कैसे इस बात का अन्दाज़ लगा लिया कि 18 वर्ष का लड़का या लड़की जब उसको मत देने का अधिकार मिल जायगा तो वह इम्तिहान के बारे में भी हस्तक्षेप करेगा—यह बिलकुल गलत बात है और मैं इस पर सख्त अफसोस और खेद प्रकट करता हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। उन्होंने किसी दूसरे मुल्कों के बारे में नहीं सोचा या शायद वे भूल गए थे कि किस युग में रह रहे हैं—आज के आणुविक युग में और टेक्नोलाजिकल एज में जेनरेशन बहुत छोटी हो गई है (**व्यवधान**)··· सभापति जी, यहां पर कोई मिनिस्टर नहीं है···(**व्यवधान**)··· ला मिनिस्टर को यहां पर होना चाहिए··· (**व्यवधान**)··· डा० कर्ण सिंह सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं और करेशी साहब किसी और के मिनिस्टर हैं—यहां पर तो लामिनिस्टर को होना चाहिए। ···(**व्यवधान**)···

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब किसी विधेयक पर विचार चल रहा हो तो अबतक इस प्रकार की परम्परा रही है कि उस विधेयक से सम्बन्धित मन्त्री यहां पर रहते हैं क्योंकि उन्हीं को उत्तर देना है। यदि वे यहां पर न हों तो फिर उनके स्टेट मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर हों। कोई तो होना ही चाहिए। यहां पर इतना महत्वपूर्ण विधेयक चल रहा है यदि सम्बन्धित मन्त्री ही गैर हाजिर हों तो इस तरह से कैसे कार्यवाही चलेगी ?

MR. CHAIRMAN : I agree with you that the concerned Minister must be here. He should be informed.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA) : The Finance Minister is here and several other Minister are also here.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : The Minister concerned is not here.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : आप हाउस को एडजर्न कीजिए। कर्णसिंह जी तो उत्तर देने वाले नहीं हैं।

MR. CHAIRMAN : That is not necessary. You are not called upon to speak. Please take your seat.

श्री मधु लिमये : तब तक के लिये कार्यवाही स्थगित कर दीजिए। ···(**व्यवधान**)···

श्री कामेश्वर सिंह : वे जवाब क्या देंगे ? मैं नहीं बोल सकता हूं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह कह रहा था कि इसका जवाब तो उन्हीं को देना है और

जबतक वे नहीं हैं या उस विभाग से सम्बन्धित उनका कोई सहायक नहीं है तब तक कैसे विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? उनको पहले आना चाहिये—तब तक के लिये आप इसे स्थगित कर दीजिए।

सभापति महोदय : शास्त्रीजी, आपका जो कहना है वह मैंने मान लिया है कि मिनिस्टर कन्सर्न्ड को यहां रहना चाहिए। अब वे आ गये हैं। ···(**व्यवधान**)···

श्री कामेश्वर सिंह : चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि सेन वर्मा साहब ने पिछली जुलाई में जब अपना मत प्रकट किया तो वे शायद भूल गये कि और देशों में क्या स्थिति है। शायद वे यह भी भूल गये कि आज हम आणविक युग में, टेक्नोलाजिकल एज में रह रहे हैं। आज से 25 साल पहले जबकि हमारे बुजुर्गों की 18 साल की उम्र थी तब वे शायद बहुत कम बातें जानते थे लेकिन आज के युग में 18 साल के लड़के काफी परिपक्व हो जाते हैं। यही कारण है कि ब्रिटेन ने भी 21 साल से घटा कर 18 साल की उम्र कर दी है। आजकल किसी की भी अगर कोई अच्छी बात हो तो उसको मान लेना चाहिए। रूस ने सन् 36 में ही घटाकर 18 साल की उम्र कर दी थी। युगोस्लाविया ने भी यही किया। फ्रांस में भी यही कायदा है। बर्मा जोकि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, वहां भी यही कायदा है। तो जहांतक मानसिक परिपक्वता का सवाल है, उसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आज से 25 साल पहले लोग क्या सोचते थे और आज क्या सोचते हैं। सन् 67 के चुनाव के बाद हमने मध्यवर्ती चुनाव भी देखे हैं। 67 के बाद कोलिशन मिनिस्ट्रीज भी बनी हैं। हर पार्टी के मिनिस्टर्स का क्या काम हो सकता है, वह भी लोगों ने देखा है। मैं समझता हूं जो लोग यह दलील देते हैं कि 18 साल का लड़का राजनीति के बारे में क्या समझेगा, उनको गलतफहमी है। उनकी यह गलतफहमी कभी भी दूर नहीं हो सकती है। उनको यह गलतफहमी पहले भी थी और आज भी है। सन् 49 में कांस्टीटुएन्ट असेम्बली में एक सदस्य ने यह कहा था कि भारत में वयस्क मताधिकार नहीं होना चाहिए। यदि सन् 49 में कुछ लोग कहने वाले थे तो आज भी कहेंगे क्योंकि कुछ लोगों को डर होता है कि अगर वयस्क मताधिकार की उम्र घटाकर 21 से 18 कर दी जायगी तो शायद वोट दूसरी तरफ चले जायेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि आज की इस टेक्नोलाजिकल एज में इसको जरूर 18 साल होना चाहिए।

हमारे देश में 18 साल का क्या महत्व है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां 18 वर्ष की कोई भी युवती अपने मन के मुताबिक शादी कर सकती है। कोई भी लड़का या लड़की माइनर से मेजर हो जाते हैं। इंडियन इन्हेरिटेंस ऐक्ट के मुताबिक वे अपनी सम्पत्ति के मालिक हो सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं। ऐसी दशा में वोट देने की उम्र 21 वर्ष क्यों रखी जाये? वयस्क मताधिकार की आयु भी 18 साल ही होनी चाहिए। जब आपके कानूनों में 18 साल की उम्र का महत्व है तो फिर मैं समझता हूं वयस्क मताधिकार के सम्बन्ध में भी मेरा जो संशोधन है वह बहुत सही है और उसको मान लिया जाना चाहिए।

अब प्रश्न यह उठता है कि इसकी वजह से क्या हानि होगी। युवकों को यह अधिकार अगर आज नहीं दिया जाता है तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सन् 72 के एलेक्शन में 5 करोड़ युवकों को मत देने का अधिकार नहीं मिलेगा और यह अपराध सरकार के ऊपर होगा। और सन् 77 में इससे भी अधिक करीब 9-10 करोड़ आदमी अपना वोट देने से वंचित रह जायेंगे। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर हम लोगों को बहुत गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

एक दलील यह दी जाती है जैसी कि सेन वर्मा साहब ने दी कि वे इम्तहान में गड़बड़ी करेंगे—तो वे इम्तहान में क्या गड़बड़ी करेंगे? इसमें गड़बड़ी का सवाल नहीं है। अगर आप यह कहकर 18 साल की उम्र न करना चाहें कि वे

[श्री कामेश्वर सिंह]

इम्तहान में गड़बड़ी करेंगे या वे कैपेबिल नहीं हैं तो मैं समझता हूं युवकों के ऊपर यह एक बहुत बड़ा लांछन है। मैं चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए मत देने की उम्र 18 साल ही की जाये।

जहांतक कांग्रेस पार्टी का सवाल है उसकी तरफ से भी कभी-कभी कहा जाता है कि 18 साल की उम्र नहीं होनी चाहिए बल्कि 21 साल ही रहनी चाहिए। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में प्राइमरी मेम्बर को भर्ती करने की क्या उम्र है? उसके लिए तो आपने 18 साल की उम्र ही रखी है। यदि आप अपने राजनीतिक दल में 18 साल के युवकों को लेना स्वीकार करते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा कानून होना चाहिए जिसकी वजह से मेरे इस बिल को मान्यता न दी जाये। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में भी 18 साल के युवक आते हैं और कांग्रेस पार्टी में तो हैं ही—बहुत सालों से यह चला आ रहा है। ब्रिटेन में पिछले साल जुलाई के महीने में यह किया गया। अमरीका के लोग भी सोच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जोकि रूस की तरफ देखते हैं और उससे प्रभावित रहते हैं तो रूस में सन् 36 में ही यह कर दिया गया था—आज उसको बहुत समय गुजर चुका है। आप अगर आज भी उस गलती को सुधार लें तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। इस तकनीकी युग में ऐसा न करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। जहांतक हेल्थ का सवाल है—हेल्थ के ऊपर ही मेन्टल डेवलपमेन्ट डेपेन्ड करता है। आज कितनी सुविधायें दी जा रही हैं युवकों को, कितनी युनिवर्सिटीज़ खुली हैं और सेना में तो 18 साल की उम्र में ही लोग जा सकते हैं। करीब करीब आफ़िसर बनने को होते हैं क्या आप कह सकते हैं कि जो 18 वर्ष के युवक सेना में जाते हैं उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है? यदि आप यह कहते हैं तो इस का मतलब है कि आप युवकों को अभी तक समझ नहीं पाये हैं। इसलिये जब युवक सेना में जा सकते हैं और 18 वर्ष की उम्र में आफ़िसर बन सकते हैं, इंडियन इनहैरीटेंस ऐक्ट के मुताबिक अपनी सम्पत्ति पर अधिकार मिलता है, माइनर से मेजर इन्सान बनता है, इतने कानूनी प्रौविज़न जब हमारे कानून में देश के हैं, फिर क्यों न इस संशोधन को माना जाये। इसलिये मैं फिर कहूंगा कि इस संशोधन को मानना अति आवश्यक है। नहीं तो मेरी चेतावनी है कि 1972 में पांच करोड़ युवकों को आप मताधिकार के हक से वंचित रखेंगे और यह घोर अपराध होगा और ये युवक जब 21 साल के हो जायेंगे तो 1977 के चुनाव में कभी भी इस अपराध को क्षमा नहीं करेंगे।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, माननीय कामेश्वर सिंह ने जो बिल हाउस के सामने पेश किया है...

MR. CHAIRMAN: Before I call upon Mr. Randhir Singh to speak, I want the hon. Members who are present to move their amendments. The majority of them are absent. Anybody wants to move his amendment ?

SHRI MADHU LIMAYE: I beg to move:

> "That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 25th November, 1969."

श्री रणधीर सिंह : मैंने अर्ज किया था कि जो बिल हाउस के सामने है इसकी स्पिरिट की मैं तारीफ़ किये बगैर नहीं रह सकता। जम्हूरियत का दौर है और जो आम जनता के मुन्तखिब शुदा नुमाइन्दे हैं चाहे एम० एल० एज० हों या एम० पीज० हों वह जिसको लीडर बनायें वही हैड आफ़ गवर्नमेंट होना चाहिये, वही लीडर होने चाहियें, इसमें कोई शक की बात नहीं है और मैं चाहता हूं कि जहां कांग्रेस को कोई बात कही जा सकती है, एक आध कोई पहले के प्रीसीडेंट दिये जा सकते हैं वहां डिफ़रेन्ट स्टेट्स में जो मुख्तलिफ़ सरकारें अपोज़ीशन की बनीं वह भी इस दाग से महरूम नहीं हैं और जरूरत इस बात की है कि वक्त आ गया है इस बात

के लिये कि सही मानों में जो जनता के नुमाइन्दे हैं, जो चुनकर आते हैं, जो चोर दरवाजे से नहीं आये, उन्हीं लोगों के हाथ में जिम्मेदारी होनी चाहिये, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, मुख्य मंत्री हों।

हमारा देश न सिर्फ़ एशिया के लिये बल्कि दुनिया के लिये...

MR. CHAIRMAN: That is a constitutional provision.

श्री रणधीर सिंह : चोर दरवाजे से मतलब यह है कि बैक डोर से आयें। चोर दरवाजा ऐसे होता है कि डिफ़ीटेड एम० एल० एज़०, एम० एल० सीज़० बन कर आ जायें। चोरी से मतलब नहीं है।

तो चूंकि हमारा देश दुनिया के लिये एक रोशनी का मीनार है इसलिये जो परम्परा हमारा देश कायम करे और उसके जम्हूरियत की जड़ें तमाम दुनिया में मज़बूत हों यह अच्छी बात है।

दूसरी बात जो बिल में आयी है वह उम्र की है कि 18 सालों के जवानों को, लड़के हों या लड़कियां, पढ़े हों या अनपढ़, उसको राय देने का हक क्यों न हो। सबसे पुरानी पार्लियामेंट इंगलैंड की है और उसमें सैकड़ों साल इस बात के लिये लगे कि राय देने की उम्र कितनी होनी चाहिये। और इंगलैंड में, अमरीका में पोज़ीशन यह है कि 18 साल का मर्द हो या औरत हो उसको राय देने के हक़ की बात है। तो जहां हम उनकी कौपी करते हैं तो क्या वजह है कि हम यहां भी वह हक न दें। जिन देशों में 18 साल की उम्र वालों को राय देने का हक है वहां के लड़के और लड़कियां क्या हमारे देश के उसी उम्र के लड़कों और लड़कियों से ज्यादा काबिल हैं, ज्यादा समझ रखते हैं? असली बात अगर पूछी जाय तो उम्र ही 17 से 27 साल के बीच में होती है और इसी उम्र में पूरा जोश और ताकत जिसम में होती है। अगर 18 से 21 साल की उम्र शामिल कर ली जाय तो मैं यह महसूस करता हूं कि यह जो देश का तबका है 18 और 21 साल के दरमियान का यह असली जान है हमारे देश की ताकत की भी और अक्ल की भी और डायनेमिज्म की भी जान है। और मैं इस राय से मुत्तफ़िक नहीं हूं कि अगर इस उम्र के लोग आ जायेंगे तो स्टूडेंट्स पौलिटिक्स में पड़ जायेंगे। मैं इस बात का कायल हूं कि हर लेविल पर जैसे हम किसानों के लिये, मज़दूरों के लिये मैनेजमेंट में ऐम्प्लाईज़ के लिये हक मांगते हैं तो जो हमारे विद्यार्थी हैं और जवान तबका है वह भी राजनीति का एक पक्का स्तून है राय देने वाला। उनको स्तून बनने से क्यों रोका जाये।

एक साहब ने कहा कि अगर 18 साल की उम्र वालों को राय देने का मौका नहीं दिया गया तो पांच करोड़ लोग राय देने से महरूम हो जायेंगे। और अगर इनको राय देने का हक़ दिया गया तो गड़बड़ हो जायेगी, पता नहीं किसको यह वोट दें, पता नहीं कहां से कहां ले जायें। मेरी राय में यह तो अपने में और कौम में विश्वास खोना है। इसका मैं क़ायल नहीं हूं। और अगर आप नहीं करेंगे तो यह लड़ कर करवा लेंगे। आज सारी दुनिया में एक लहर है और पढ़े-लिखे तथा अनपढ़ भी अपने हकूक के लिये लड़ते हैं। और ठीक लड़ रहे हैं। अगर हम वक्त से इस बात को नहीं करेंगे तो वह खुद करवा कर छोड़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि न सिर्फ़ उनको वोट का हक दिया जाये, मैं तो चाहता हूं कि कुछ ज़िम्मेदारी की बात इस बिल में होती। जैसा मधु लिमये जी ने कहा था। आज मैं इस बात का क़ायल हूं कि यह जो बेहतरीन दिमाग है देश का हमारा जवान तबका पढ़ा और अनपढ़, इनको हर शोबे ज़िन्दगी में, चाहे राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो, डेवलपमेंट का हो, इनके पार्टिसिपेशन के बगैर हमारी गाड़ी जो खचड़ा बनी पड़ी है, यह आगे नहीं चल सकती जब तक इन्हें साथ न लिया जाये।

[श्री रणधीरसिंह]

आप देखें कि आज कौन परेशान है हर जगह ? यही जवान तबका क्योंकि वह समझता है कि तुम्हारी तो समाज में कद्र नहीं है। जो 50, 60 साल का है वह कहता है कि तुम बच्चे ही हो। तो वह समझता है कि हमने सारा लिट्रेचर पढ़ डाला, यूनिवर्सिटी तक की तालीम हासिल कर ली, ग्रेजुएट हैं, फिर भी हमको राय देने का हक नहीं है। जो भैंस चराता है, मवेशी चराता है 21 साल का, उसका वोट है और जो 17, 18 साल की उम्र में ग्रेजुएट है और वकालत भी सीख लेता है उसका वोट ही नहीं। तो मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि जो हमारा रौशन दिमाग है देश का उसको इस हक से उम्र के नाम पर महरूम किया जाये। अगर हम उनको दूर रखते हैं तो कोई न कोई खराबी हमारे समाज में और हम में है। तो मैं इस बात के हक में हूं कि जूद आयद दुरुस्त आयद। जितनी जल्दी किया जाये उतना अच्छा है।

17. hrs.

जो रिज़ोल्यूशन माननीय सदस्य लाये हैं मैं चाहूंगा सारा हाउस यूनानिमसली इसकी सपोर्ट करे और मिनिस्टर साहब भी इसको स्वीकार करें। इसको अगर आप सेलेक्ट कमेटी में चाहें भेजना तो मुझे कोई एतराज नहीं है। राय आम्मा जानने के लिये इसको भेजा जाये इसके मैं हक में नहीं हूं क्योंकि उसमें सालों लग जायेंगे। मैं चाहूंगा कि यह नेक खयाल है और इसको अपनाने में हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिये कि यह चीज़ अपोज़ीशन की तरफ़ से आयी है। यह भी हमारे भाई हैं। देश के सभी भाई हैं। हमें कोई आर नहीं है। गवर्नमेंट को भी इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। डाक्टर साहब बैठे हैं वह तो इस देश के नौजवानों के लीडर हैं। हमें उम्मीद है कि यह जो खयाल है इस खयाल को अमली जामा पहनाने के लिए वह अपना कंधा इस में लगायेंगे। मंत्री महोदय स्वयं जवानों के नेता हैं और अगर इस मामले में ज़रूरत समझी जाय तो खुद इस किस्म की कोई कमेटी बना कर जल्द से जल्द राय आम्मा ले लें वरना इस बिल को सेलैक्ट कमेटी में भेज दें। ज्यादा से ज्यादा इसकी मदद जो की जा सके वह की जाये। यह एक बेहतरीन तबक़ा है, 25 परसेंट होगा ज्यादा नहीं, तो इस बेहतरीन तबक़े को सियासी तौर पर आप अछूत समझते हैं वह कहाँ तक मुनासिब है ? यह एक ऐसा तबक़ा है जो कि इनकिलाब पैदा कर सकता है। अगर आप उसको हिस्सा दे दें तो देश में जितनी उलझनें हैं, 90 फ़ीसदी उलझनें खत्म हो सकती हैं। अब चाहे वह उलझनें हमारी बेरोजगारी की हों, सुरक्षा की हों, घर की हों, समाज की हों या बाहर की। यह जवान तबक़ा जिधर लग जायेगा उधर काम फतह कर के दिखलायेगा। आज कल जब कुनवे में लड़का जवान हो जाता है तो बाप बेफिक्र हो जाता है और सारा बोझ और जिम्मेदारी लड़के पर डाल देता है और उसे विश्वास रहता है कि वह उसे बखूबी अन्जाम दे लेगा।

मैं एक मिसाल देकर खत्म करता हूं। एक किसान अपने खेत से झाड़ लेकर जा रहा था उसको एक आदमी ने रास्ते में बतला दिया कि भाई यह तेरा लड़का तो 18 साल का जवान पट्ठा हो गया है तो उसने वह झाड़ वहीं डाल दिया और कहने लगा कि ठीक है लड़का मेरा जवान हो गया वह खुद इसको उठा कर मजे में ले जायगा और उसने उस काम की जिम्मेदारी अपने उस जवान लड़के पर डाल दी। यह उचित ही है कि जब लड़का जवान हो जाये तो बड़ों को उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस संविधान (संशोधन) विधेयक को सारे हाउस की हिमायत हासिल हो और जहाँ तक मेरा सवाल है मैं इसकी पुरजोर हिमायत करता हूं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री कामेश्वर सिंह द्वारा जो संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह एक बड़ा सामयिक

बिल है और इस सदन को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

इस में मुख्य रूप में दो बातें कही गयी हैं। एक यह कि जो प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री बनाये जायं वह वही लोग हों जो कि विधान सभा के या लोकसभा के चुने हुए सदस्य हों। आज हमारे संविधान के मुताबिक कोई ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य नहीं है जो विधान सभा का सदस्य नहीं है और जो अपर हाउस का सदस्य नहीं है वह भी मुख्य मंत्री बन सकता है या प्रधान मंत्री बन सकता है। वह मुख्य मंत्री भी बन सकता है और प्रधान मंत्री भी बन सकता है।

जहां तक मुख्य मंत्री बनने का सवाल है अब कुछ राज्यों ने मांग की है कि वहां पर विधान परिषदें भंग कर दी जायं, बंगाल ने यह मांग की है, पंजाब ने यह मांग की है और केन्द्र ने इस बात को मानना है। जब विधान परिषदें रहेंगी ही नहीं तो उसके बाद विधान परिषद के आदमी को मुख्य मंत्री बनने का अधिकार दिया जाये, यह बात ग़लत है और इसको स्वीकार करने में तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

जहां तक प्रधान मन्त्री का ताल्लुक है राज्य सभा है परन्तु राज्य सभा का जो उद्देश्य था वह लोकसभा की अपेक्षा बिलकुल भिन्न था। राज्य सभा के जो मैम्बर्स होते हैं वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं वह आम देश की जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधान मंत्री भी वही बनें जो कि लोकसभा में चुने गये हों। इस मामले में जो एक कमेटी बनी थी डिफैक्शंस के बारे में उस कमेटी ने भी विचार किया और उसका भी युनैनीमस मत यही था कि संविधान का संशोधन करके यह तय कर दिया जाये कि केवल जनता द्वारा चुने हुए लोग ही मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री बन सकें और मैं समझता हूं कि इस बारे में कोई दो मत नहीं होने चाहिए और यह सुझाव मान लिया जाना चाहिए।

दूसरी बड़ी चीज़ इसमें यह कही गई है कि मतदान कर सकने वाले व्यक्ति की आयु 25 साल से कम करके 18 साल कर दी जाये। यह एक बड़ा बुनियादी सवाल है। हमने जब इस देश के अन्दर वयस्क मताधिकार स्वीकार किया उस समय हमने यह तर्क दिया था कि सब लोग बराबर हैं। पोटिकल डेमोक्रेसी के अन्दर गरीब, अमीर, पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई भेद नहीं किया जा सकता है और हम सब को वोट देने का अधिकार देते हैं। उस समय कई लोगों का ऐसा मत था कि यह तुरन्त एक ही पग में सब को अधिकार देना शायद ठीक न हो। हम पार्लियामेंटरी जीवन में इंग्लिस्तान की नकल जो बहुत बातों की करते हैं परन्तु वहां पर यह वयस्क मताधिकार को आने में 100 साल लगे हैं। वहां पर लिमिटेड फ्रैंचाइज़ था। फिर 1832 का रिफार्म एक्ट पास हुआ, 1868 का रिफार्म ऐक्ट पास हुआ, 1911 का रिफार्म ऐक्ट पास हुआ और 1928 का रिफार्म ऐक्ट पास हुआ। इस रिफार्म ऐक्ट के मुताबिक वहां वयस्क मताधिकार पूर्णरूप में माना गया।

जिस समय वहां पर कुछ लोगों को मताधिकार दिया गया, उस समय 1868 के बिल के बाद 1870 में जब पार्लियामेंट बैठी तब ग्लेड्स्टन प्रधान मंत्री थे। उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि एलिमैंटरी एजुकेशन बिल पार्लियामेंट में ले आये, और उस पर बोलते हुए कहा कि हमने लोगों को मताधिकार दिया है, लेकिन अगर हम जनता को एजुकेट नहीं करेंगे, उनको शिक्षित नहीं करेंगे तो यह राइट वरदान के बजाय अभिशाप बन जायेगा। इसलिए उन्होंने इंग्लिस्तान को एक नारा दिया, और वह नारा था : **एजुकेट योर मास्टर्स**। यह मतदाता तुम्हारे मालिक हैं, उन्हें शिक्षित करो, एजुकेट करो ताकि वह ठीक तरह से वोट दे सकें। आहिस्ता आहिस्ता उनको ट्रेनिंग दी गई और इसलिए आज वहां एक सफल लोकतन्त्र है।

[श्री बलराज मधोक]

हमने कोई इस प्रकार का स्टेप नहीं लिया, परन्तु मताधिकार दे दिया। आज उसके बारे में पुर्नविचार करने की बात कहना न तो उचित होगा और न ठीक होगा। परन्तु जब हमने मताधिकार दे दिया तब उसको भी मताधिकार दिया जिसकी आयु 21 साल की है लेकिन जो अनपढ़ हैं, जिसको ज्ञान नहीं है कि लोकतन्त्र क्या है। उसके मुकाबले में जो 18 साल का नौजवान है, जिसने हायर सैकेन्डरी पास किया है, कालेज़ में पढ़ रहा है, उसको डिमाक्रेसी का पता है, राजनीति का पता है, लेकिन चूंकि उसकी आयु कम है इसलिये उसको मताधिकार नहीं दिया। मैं समझता हूं कि यह एक विडम्बना है। जब आपने एक अनपढ़ आदमी को, जो 21 साल का है मताधिकार दिया, और 18 साल के आदमी को तो आप बालिक भी मानते हैं, ऐसी स्थिति में यह अत्यावश्यक हो जाता है कि हम अपने कानून में परिवर्तन करें। कम से कम 18 साल के पढ़े लिखे नौजवान को 21 साल के अनपढ़ नौजवान से ज्यादा अक्ल होगी और उसको राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार देना उचित भी होगा।

यह इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि आज संसार में एक प्रकार की क्रान्ति आ रही है। नौजवान एक प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं। आज जो व्यवस्था है उससे वह असन्तुष्ट हैं और वे अपने देश के राजनीतिक जीवन में अधिकाधिक भाग ले रहे हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में कितने ही मुल्कों की राजनीति में विद्यार्थी बड़ा प्रबल परिवर्तन लाये हैं। इस लिये विद्यार्थियों को देश के राजनीतिक जीवन के अन्दर अधिक सहयोग देने का मौका दिया जाये, यह दुनिया भर के राजनीतिक नेता सोच रहे हैं। अभी इंग्लिस्तान के अन्दर यह विचाराधीन है कि वहां पर मतदान की आयु 21 साल से कम कर के 18 साल रक्खी जाये। यू. एस. ए. में बहुत सी स्टेट्स में आज भी 18 वर्ष की आयु रक्खी गई है। आज इस देश में भी इस प्रकार की मांग बढ़ रही है।

आज हमारे यहां युनिवर्सिटी और कालेजों में इनडिसिप्लिन का जो मुख्य कारण है वह यह है कि हम अपने विद्यार्थियों को विहीन करना चाहते हैं पालिटिक्स से। हम समझते हैं कि चूंकि विद्यार्थी पालिटिक्स में भाग लेते हैं इस लिए उनमें इनडिसिप्लन पैदा होती है। मैं एक कालेज के टीचर के नाते, जिसका सम्बन्ध विद्यार्थियों से बड़ा निकट का रहा है, कह सकता हूं कि यह सोचना गलत है। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों के हाथों में अब तक सत्ता रही, उन्होंने यह देख कर कि पढ़े लिखे लोग हमारे साथ नहीं हैं, हमसे दूर जा रहे हैं; इस प्रकार का कानून बनाया। अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखें तो उसमें जिन लोगों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया उनमें से अधिकतर टीचर्स और विद्यार्थी थे।

इस लिये विद्यार्थियों को पालिटिक्स से अलग रखने की बात गलत है। आज देखा गया है कि नैशनल और इंटरनैशनल पालिटिक्स में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनसे विद्यार्थी आन्दोलित होते हैं, वह उसमें भाग लेना चाहते हैं। इस लिये उनको राजनीति से अलग रख कर न हम विद्यार्थियों की सेवा कर सकते हैं और न लोकतन्त्र की सेवा कर सकते हैं। इसलिये लोकतन्त्र की दृष्टि से भी और आज जो डिस्कंटेंट विद्यार्थियों में पैदा हो रहा है उसको दूर करने की दृष्टि से भी अगर हम मतदान की आयु 18 साल तक ले आयें तो यह लाभदायक होगा और इससे वे अच्छे नागरिक और अच्छे मतदाता बनेंगे तथा हमारी जनता के अन्दर वह अधिक सूझ बूझ से अपना वोट दे सकेंगे और लोकतन्त्र में अपना योगदान दे सकेंगे। इससे हमारा लोकतन्त्र मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा और हमारे कालेजों तथा बाकी जगहों पर आज जो वातावरण है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप हमको मिलेगा।

इस लिये मैं समझता हूं कि इस बिल में जो सुझाव दिये गये हैं उनका कोई विरोध नहीं हो सकता है, उनका समर्थन ही हो सकता है।

मैं उनका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार भी उनको स्वीकार करेगी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, उपनिषद की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार नारद ऋषि सन्त कुमार के पास ज्ञान लेने के लिए गए। उन्होंने कहा कि आपने तो हम से अधिक पढ़ा हुआ है, आयु में भी आप हमसे अधिक हैं फिर आप हमारे पास ज्ञान लेने के लिए क्यों आए। उस समय उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने पुस्तकें तो अधिक पढ़ रखी हैं लेकिन सच्चाई यह है कि गुना हुआ मैं बहुत कम हूं। हमारे देश की एक पुरानी अपनी परम्परा यह रही है कि पढ़ने की अपेक्षा जो गुनना होता है उसका अधिक मूल्य होता है।

कई मित्रों ने इस समय यह प्रश्न उठाया है कि पढ़े लिखे नौजवान और खास तौर पर 18-19 साल के नौजवानों में एक प्रतिक्रिया पैदा होने लगी है। अनपढ़-आदमी पचास साल का हो या पच्चीस साल का हो या इक्कीस साल का हो उसको तो मत देने का अधिकार है लेकिन हम जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, क्योंकि हमारी आयु 18 वर्ष की है, इसलिए हमको मत देने का अधिकार नहीं है। मेरा कहना है कि इसमें थोड़ा सा हमको गंभीरता से विचार करना चाहिये। एक बात में तो मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले हमारे मित्र श्री कामेश्वर सिंह जी से निश्चित रूप से सहमत हूं। उन्होंने अभी यह कहा है कि अठारह वर्ष की कन्या को तो विवाह का भी अधिकार होता है। हमारे देश में शारीरिक विज्ञान की स्थिति यह है कि पुरुष में जो परिपक्वता 25 वर्ष की आयु में आती है महिलाओं में वह परिपक्वता 18 वर्ष में आ जाती है। अगर इस बात को आप इस रूप में रखें कि अठारह वर्ष की महिलाओं को मतदान का अधिकार हो तब तो मैं आपके विधेयक से सहमत हो सकता हूं। लेकिन अगर 18 साल के लड़कों को मताधिकार दिया जाय इसको इसी तरह से रखते हैं तो मेरा कहना है कि इस पर सोचना होगा। इस बात से अवश्य मैं सहमत हूं कि विधि मंत्रालय अवश्य इस बात के ऊपर विचार करे कि हमारे देश में जो मतदान की प्रणाली है, क्या वह ठीक तरह से काम कर रही है? मतदान में बहुत सी खराबियां आती जा रही हैं। कहीं जातपात के आधार पर मतदान होता है, और कहीं किसी प्रकार के दबाव में मतदान होता है। कहीं आर्थिक प्रलोभन में मतदान होता है। सभापति महोदय, एक बात आपने देखी होगी कि जब हम और आप चुनाव के दिनों में अपने मतदाताओं से सम्पर्क करने के लिए जाते हैं तो उनके घरों पर हम पहुंचते हैं। लेकिन अब तक तो जाना पड़ता था घरों पर और अब हमें यूनिवर्स्टी और कालेजों के दरवाजे भी खटखटाने पड़ेगे क्योंकि जब अठारह साल के मतदाता हो जाएंगे तो केवल घरों पर नहीं जाना होगा, फिर तो यूनिवर्स्टी के अध्यापकों को हम कहेंगे मत दिलवाइये, वाइस चांसलर्ज को हम कहेंगे, प्रिंसिपल्ज को हम कहेंगे इस तरह उनके पास भी हमको जाना पड़ेगा। अभी जो उनका प्रयोग होता है वह केवल प्रचार कार्य में होता है, मतदान के अन्दर नहीं होता है। लेकिन फिर वह भी होने लग जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा रुककर सोचना होगा। यह एक बहुत बड़ा निर्णय है और शीघ्रता में इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये।

मेरे मित्र श्री कामेश्वर सिंह ने जो दूसरी बात रखी है उससे मैं शत प्रतिशत सहमत हूं कि यह जो हमारी संसद है, लोक सभा है या ये जो विधान सभायें होती हैं ये जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थायें होती हैं। हाउस आफ दी पीपल्स ये कहलाती हैं। इसलिए जो बजट या वित्त विधेयक है अथवा वित्त सम्बन्धी जो भी कार्यक्रम सरकार पेश करती है वे पहले जो जनता की चुनी हुई संस्था यह संसद है, इसके सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि केवल प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री ही नहीं बल्कि जो और मंत्री भी हों वे भी जनता से सीधे चुनकर आये व्यक्तियों में से हों।

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

यह नहीं होना चाहिये कि एक इस प्रकार का दरवाज़ा खुला रखा जाए कि छः महीने तक तो बिना चुने हुए भी कोई आदमी आ सकता है फिर ये जो अपर हाउसिस हैं, विधान परिषदें हैं या राज्य सभा है इनके सदस्य भी मंत्री हो सकते हैं। धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि विधान परिषदें समाप्ति की ओर हैं । मेरा निश्चित विश्वास है कि एक दिन इस सदन को भी इस पर विचार करना होगा कि अगर विधान परिषदें देश में नहीं रहती हैं, उनकी देश को कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है तो फिर राज्य सभा की भी आवश्यकता है या नहीं है ? इस पर भी विचार करना होगा। जो स्थिति बनती जा रही है उसमें मैं चाहता हूँ कि इस बात पर हमको कम से कम अपना मत निश्चित रूप से बना लेना चाहिये कि प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री ही नहीं बल्कि कोई भी मंत्री जो जनता का विश्वास प्राप्त करके न आया हो, उसको इस प्रकार के जिम्मेवारी के अधिकार न सौंपे जायें।

इन संशोधनों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक पेश किया गया है इसके सम्बन्ध में श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने जो यह कहा है कि मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री के लिए यह आवश्यक होना चाहिये कि वह चुनकर आए, इससे मैं सहमत हूं। बिना चुने हुए आए किसी भी सज्जन को मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री का पद नहीं मिलना चाहिये ।

जहां तक उम्र घटाने की बात का सम्बन्ध है, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं। अभी जो हालत है उसको आप देखें। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में अभी शिक्षा का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है। तीस प्रतिशत से अधिक लोग शिक्षित नहीं हो पाए हैं।

आप जानते हैं कि पिछले मध्यावधि चुनावों के सम्बन्ध में विभिन्न सदस्यों की तरफ़ से इस हाउस में इस प्रकार की शिकायतें रखी गई कि किस तरह से ज्यादती हुई, लोगों को मत देने से रोका गया, उनको मतदान केन्द्र पर आने नहीं दिया गया और उन पर किस तरह के अत्याचार किये गये। ऐसी हालत में अगर हम मतदाताओं की संख्या बढ़ा देंगे, तो उससे हानि ही होगी, फ़ायदा नहीं। अगर देश में शिक्षा का प्रसार होने के बाद मतदाता की आयु अठारह वर्ष कर दी जाये, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन मध्यावधि चुनावों के बाद तो बहुत से आदमियों का यह ख़याल होने लगा है कि एडल्ट फ्रैंचाइज़ देने में भी शायद कुछ जल्दी हुई है। इंगलैंड वगैरह और देशों में काफी झगड़े के बाद एडल्ट फ्रैंचाइज़ दिया गया। इसके लिए बहुत लड़ाई हुई। उन देशों में पहले स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। इस लिए मैं इस मामले में जल्दबाज़ी करने के पक्ष में नहीं हूं। अगर कोई क्वालिफ़िकेशन रखने का सुझाव दिया जाता कि मतदाता इस दर्जे तक पढ़ा-लिखा होना चाहिए, तो वह कुछ विचारने की बात थी। लेकिन वालिग़ मताधिकार देते हुए उम्र घटाने से कोई फ़ायदा नहीं है।

इस सुझाव का मैं समर्थन करता हूं कि मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री चुने हुए हों।

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya) : Mr. Chairman, Sir, the Bill that has been placed for consideration before the House by my hon. friend, Shri Kameshwar Singh, incorporates certain generally accepted propositions of democracy.

Sometime ago, on a Resolution moved by Shri P. Venkatasubbaiah, a Committee of this House was appointed to go under the question of defections and incidentally the Committee, was represented by leaders of all political groups and also certain eminent persons like Shri Jaya Prakash Narain & certain constitutional authorities like Shri Setalvad and Shri Daphtary were associated with the deliberations of the Committee. That Committee did also apply its mind to this particular question which has been posed by my hon. friend Shri Kameshwar Singh.

Sir, permit me to quote one or two relevant sentences from the Report which the

Committee has submitted to Parliament. On this particular question, whether the Prime Minister at the federal level and the Chief Minister at the state level should they be directly elected by the people or, in other words, should they be Members of the lower House, has been touched upon by the Committee. It says :

> "There was a strong current of opinion at all stages of the discussion in the Committee that no one who was not initially a Member of the Lower House should be appointed as Prime Minister or Chief Minister. After close and careful consideration of all aspects of the matter, the Committee recommends that no person who is not a Member of the Lower House should be appointed Prime Minister or Chief Minister. It is "advisable to make the constitutional amendment giving effect to this recommendation prospective so that it does not affect the existing incumbents in office."

So, in principle, in the Committee where the Government also was adequately represented—actually, the Home Minister was the Chairman of the Committee and he is also a signatory to the report of the Committee—the Government have accepted the proposition that at some time in the future an amendment to the Constitution would be piloted by the Government and it will have the unflinching support of all the Opposition groups that are represented here.

It reminds of one exception to this rule. For example, our revered friend Shri Annadurai was not elected to the Lower House of the Legislature. But men like Shri Annadurai come once at a time and they would, certainly, be exceptions to this.

17.20 hrs.

[SHRI VASUDEVAN NAIR : *In the Chair*.]

But, by and large, it has to be conceded that the Leader or the Prime Minister or the Chief Ministers will have to be directly elected by the people, so that they should be answerable to whatever they do.

The second part of the proposition that Mr. Kameshwar Singh makes is about the lowering of the age of voting. There is a great national dialogue that is going on about the unrest amongst the youth, the unrest amongst the students. This is not an isolated phenomenon that could be detected only in India. It is worldwide phenomenon. You can find this everywhere, in Europe, in the U.S.A. and in many parts of Latin America also. Now the time has come when there is a great yearning on behalf of the students, on behalf of the younger generation; they would like to have more powers; they would like to have more responsibilities and they would like to exercise those responsibilities. One of the most certain ways of disciplining these youngsters is, in my humble opinion that they should be saddled with greater responsibilities so that they could have the feeling that they are equally responsible for what is happening in this country or elsewhere. Once they are imbibed with that feeling, naturally they would be more responsive to the aspirations of the country as a whole and they would be more responsive for the ultimate objective that we have evolved for ourselves.

As pointed out by Mr. Kameshwar Singh about four to five crores of new voters would be coming on to the electoral rolls of our country if this Bill were to be approved by this House and as a result of that the Constitution were amended. I agree with Prof. Madhok when he made a mention about this particular unrest in universities, the unrest amongst the younger generation. That is solely because they feel that they are left out of the mainstream of this country. They feel that they have not been taken seriously into consideration. Once they get the right to vote, naturally they will feel that they are a part of the Government—any Government that is created in this country—, that they were responsible for the creation of that Government.

I am sure that Law Minister would give a serious consideration to this Bill and once he accepts the Bill, I am sure that this Bill would muster a wide range of support not only within this House but also outside.

श्री शशिभूषण (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को मुबारकबाद देता हूं

[श्री शशि भूषण]

कि वह बहुत मुनासिब बिल सदन में लाए हैं। यह बात सही है कि जब 18 साल के नवजवान सीमा पर जाकर गोली खा सकते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी का काम कर सकते हैं, विश्वविद्यालय में यूनियन्स के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी हो सकते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह वोट क्यों नहीं दे सकते। जब 3 करोड़ नवजवान इस देश में बेरोजगार हैं जिस प्रकार हमें आज हरिजनों के घर जाना होता है, अल्पमत के वोटर्स के पास जाना होता है जब कि इस देश में ऐसे व्यक्ति भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों को सैकण्ड क्लास सिटिजन रखा जाय, हरिजनों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, अभी भी एक सज्जन ने कहा कि बहुत जल्दबाजी की है मतदान के अधिकार देकर, किसी ने कहा कि स्त्रियों की उम्र कम या ज्यादा की जाय। आज हमारे देश में यह एक विडम्बना है, जो आर्थिक विषमता है, वह जिस वक्त यह संविधान बना उससे पहले खास तौर से महात्मा गांधी ने उस वक्त बहुत सख्ती के साथ कहा था कि वोट का अधिकार गरीब, अमीर, हरिजन हर एक को दिया जाय और वह दिया गया, उसका फल यह हुआ जनता की ताकत बढ़ी आज कुछ कमजोरियां जरूर हैं, लेकिन फल यह है कि आज किसी की हिम्मत नहीं है कि लोग हरिजनों, स्त्रियों या युवकों के खिलाफ़ कोई आवाज बुलन्द कर सके। इसलिए हमें अगर और भी अपने प्रजातंत्र को मजबूत करना है तो बहुत ही अच्छा होगा कि 18 साल के नवजवानों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए।

एशिया के जो युवक लीडर्स इंग्लैंड में हैं, उन नौजवान नेताओं ने इंग्लैंड में आन्दोलन चलाकर इस बात का अधिकार लिया है। यह क्रेडिट एशिया के नौजवान लीडर्स को जाता है जिन्होंने वहां रहते हुए 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार लिया है। जब वहां की लीडर शिप ऐसा कर सकती है, तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। फ्रांस, जर्मनी, दुनिया भर के मुल्कों के नौजवान आज उठ खड़े हुए हैं, उन्हें अपने अधिकारों का पता चल गया है और वे इसे प्राप्त करके रहेंगे। चुने हुए लोग प्रधान मन्त्री हों या चीफ़ मिनिस्टर हों, इस बात में दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन, सभापति महोदय, राज्य सभा के सम्बन्ध में जैसा कहा गया है कि उसको बन्द किया जाना चाहिए, यह उचित नहीं है...

श्री बलराज मधोक : मैंने कहा है कि विचार करना पड़ेगा।

श्री शशि भूषण : ठीक है,—आपने कहा है कि विचार करना पड़ेगा। होता यह है कि जब एक पार्टी की मैजोरिटी होती है तो वे अपने मुताबिक फैसले कर लेते हैं। पंजाब में निर्णय किया गया है कि अपर हाउस भंग कर दिया जाय, दूसरी कई जगहों से भी इस तरह की मांग आ रही है लेकिन कई जगहों से इस तरह की मांग भी आ रही है कि जहां पर दो हाउसेज नहीं हैं वहां पर अपर हाउस भी कायम किया जाय। जैसे मध्य प्रदेश चाहता है कि वहां पर अपर हाउस बनाया जाय। मैं यह समझता हूँ कि राज्यों के अपर हाउस या राज्य सभा इनका भी चुनाव होता है। चुने हुए लोग इनको चुनते हैं, वे कहीं बाहर से बगैर चुनाव के नहीं आते हैं। प्रजातन्त्रीय तरीके से एम०एल०एज उनको चुनते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज पार्लियामेंट को यह निर्णय भी लेना होगा कि हर एक राज्य में अपर हाउस हो या न हो। ला मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं—मैं समझता हूं कि वह इस पर ध्यान देंगे।

मेरे मित्र ने जो प्रश्न आज इस हाउस के सामने रखा है कि 18 साल के नौजवानों को वोट का अधिकार मिलना चाहिये, यह बहुत मुनासिब बात है। सारे देश में—हर स्कूल, कालिज और यूनिवर्सिटी में यह भावना फैल चुकी है, मुझ से बहुत सी नौजवान संस्थाओं ने कहा है, वे लाखों की तादाद में दस्तखत करा

कर पार्लियामेंट में पेटीशन पेश करने वाले हैं कि उनको यह अधिकार दिया जाय। इसलिये यह बहुत मुनासिब वक्त है जबकि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और यह अधिकार उन्हें देना चाहिये।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): Mr. Chairman, Sir, I have no mind to take part in the debate, but after hearing the debate, I thought I must speak in the debate.

There are two points. The first point deals with the appointment of the Prime Minister and the Chief Minister at the State level. So far as the principle underlying the Bill is concerned that the Chief Minister or the Prime Minister must belong to the lower House, there can be no dispute. But my suggestion is that this matter should be governed by convention because at times necessity may arise or occasions may arise when it may not be advisable looking at the political health of the country to confine ourselves. Under the Constitution the provisions are to be accepted that the Chief Minister or the Prime Minister must belong to the lower House. Of course the Committee has made a very good suggestion. That suggestion has a prospective value. In future it should be. But then...

SHRI S. M. KRISHNA : They have suggested amendment of the Constitution.

SHRI R. D. BHANDARE : I know. I am just quoting you that they have suggested an amendment of the Constitution. But if we are to study the constitutions of all countries of the world, I think it is not done under the Constitution at all. This has been regulated and governed under conventions.

SHRI BAL RAJ MADHOK : That is in Britain where there is no constitution at all.

SHRI R. D. BHANDARE : But in other countries also. As we develop political maturity and political stability, I think it will be governed by convention alone. So far as the principle is concerned, I have no quarrel. If we accept the principle, I think he will then withdraw and not insist upon the Government to bring such a measure.

But these matters should be governed by the convention.

Then, as far as widening of the franchise is concerned, giving the right of vote to the persons who have attained the age of eighteen, I think, it is premature now, because of the political climate, to accept the proposition, because the education has not spread to that extent, as to give the right to a youngster to vote and to deal with the destiny of the nation, and the destiny of the people.

श्री शशि भूषण : जब 70 साल का अनपढ़ बूढ़ा आदमी वोट दे सकता है तो फिर 18 साल का पढ़ा लिखा नौजवान क्यों नहीं दे सकता है ?

SHRI R. D. BHANDARE : What is the percentage of the education ? That is the whole trouble.

श्री रणधीर सिंह : 18 साल का जवान 70 साल के बूढ़े से ज्यादा अकलमन्द होता है।

SHRI R. D. BHANDARE : Mr. Chairman, Sir, the whole trouble is this. Education is at a low ebb. The percentage has not increased and unless we amend Article 14 there can be no discrimination made in between educated and uneducated. Can we amend Article 14 ? We cannot amend Article 14 because we have accepted certain basic principles as the basis of Indian life. Those principles are enshrined and adumbrated in the Preamble of our Constitution. Democracy, according to the Preamble of the Constitution, is not only a form of Government, which we have accepted; but it is a way of life. And, therefore, Mr. Chairman, we cannot at all amend Article 14 so that those who are uneducated and have attained the age of 18 alone should be given the right to vote and those who are not educated, who are not graduates etc., should not be allowed the right of franchise, after attaining the age of 18 years. This cannot happen. It cannot be accepted. That position is untenable. It militates against

the very commonsense, and wisdom and rationality. (*Interruption*) Unless educational percentage increases, what is the use of quoting the illustrations of other countries like America ?

AN HON. MEMBER : Hippies are given power in other countries.

SHRI R. D. BHANDARE: What—Hippies are to be made Prime Minister and Chief Minister of States and heads of the States like President, etc. ?—We do not want that.

श्री शशि भूषण : हिप्पीज भी बना रहे हैं ।

SHRI R. D. BHANDARE: To translate the American life and American Political situation in our country is not what we want. The hon. Member may go to the extent of saying that all educated youngsters should become hippies and all hippies should be given the right to vote. You may go to any extent. But I would not accept that.

Therefore, Sir, I am really sorry that I am unable to agree with what my learned friend has said, while moving the Bill.

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili) : My hon. friend has introduced this Bill with a two-fold objective. One objective was, the appointment to the office of the Chief Minister and Prime Minister from the House which is popularly elected. The second one is the desirability of extending franchise to persons attaining the age of eighteen.

I am prepared to accept the first proposition laid down by my hon. friend but about the second one, I have reservations in supporting that. In Parliamentary democracy we have this concept of democratically representative mechanism. We have,of course, due to historical accidents and also due to certain other reasons, in this country,—it is not only in this country, but various other countries as well—second chambers. They are supposed to be our elders and are supposed to correct us, the youngsters, to correct the hasty actions of the representatives of the people. In that way, only as a safety valve, they have been associated with the democratic mechanism. If you go to the crux of the problem, popularly elected representatives in the lower House are the real representatives of the people's will. On that, I am sure there will be a broad measure of agreement.

Once that has been accepted, we now come to the question of accountability of the Government. Our Constitution has very clearly provided that the Council of Ministers shall be accountable and responsible to the Lok Sabha or the State Assembly, as the case may be. Though Parliament includes Rajya Sabha also, when it comes to the question of accountability, it has not been extended to the Rajya Sabha, or for that matter to the Council. That being the position, I personally feel that the Prime Minister or the Chief Minister must be from the popularly elected House. While saying so, I must also concede that we cannot perhaps follow this in all cases. A situation may arise where a person belonging to the other House may have to be appointed as the Leader of this House or as the Prime Minister. In such an eventuality, I submit that the person concerned should go to the people and get a popular mandate and get elected to the lower House—whether Lok Sabha or the Assembly, as the case may be—and then resign the other seat. So far as other Ministers are concerned—I may appear to be advancing self-interest, yet I have to put forward my idea—I would say that to a large extent all the members of the Council of Ministers should be drawn from the popularly elected legislature. The reason is that we cannot extend all the facilities and privileges and status which the lower House enjoys to the other House. Somewhere, we must draw a line. This much so far as the first part is concerned.

Coming to the franchise, I must say that there is a bit of confusion in the sense that in order to achieve a limited objective, we are trying to approach the problem in a wider way. The idea is to extend the franchise right to the educated youth of 18 years. What is the percentage etc. we have to discuss. So far as student communities are concerned I would rather suggest that we have first to tackle their urges and aspirations. This right of franchise can be exer-

cised only once in five years and what is the use of telling people : "We have done this and therefore please do not create troubles." This is only for the purposes of telling people. But that does not solve the problem. The real problems relate to their housing condition and other conditions and amenities. For franchise, they can wait for a little more time.

I want to raise another important point in this connection. In this country, individual preferences are very much neglected. This is so in all activities. Take the case of voting. People vote in a group—whether it is on the basis of caste or political party. In that process, the decision-making process of the individual suffers. Such being the case, I do not think that extension of this particular right to the educated people of only 18 years will be quite proper ; it will be out of context.

SHRI HUMAYUN KABIR (Basirhat) : I would like to make only two observations on the two points made by my hon. friend Shri Kameshwar Singh.

Regarding legislation to prohibit anybody except a sitting Member of the Lower House from being the Prime Minister or the Chief Minister, I would say that this should not be a legislative prohibition. I agree with the spirit of his move and I also agree very largely with what my hon. friend to my left just now said. There may be a situation when a person who is not a Member of any House at all may be called upon to accept the leadership, but there should be a proviso that nobody should be the head of the Government, whether as Prime Minister or as Chief Minister, unless he is elected to the Lok Sabha or the Assembly as the case may be, within a period of six months of holding such office. We have already a principle, and that is that a Minister has to be a member of the ligislature, and, therefore, somebody may be brought by the back-door and brought into the Rajya Sabha and made the Prime Minister. If this amendment is accepted that the person who is going to be the head of the Government must within a specified period become a Member of the lower House, that would serve the needs of the case, and that would also avoid a situation where at moments of crisis we may sometimes be required to go to somebody who has not stood for election at all.

Regarding the second point about extension of franchise, I see the force behind what he says, because there is a general desire for younger people to participate in the functioning of government. This is in a way a world-wide problem, and the youth unrest which we find throughout the world today is a completely new phenomenon. Many attempts have been made to analyse the cause of this, but one factor has not often been appreciated. Till about thirty or forty years ago, adolescence as such was not a recognised stage in the growth of human beings ; for a very large number of people at the age of 13 or 14 started working. If it was an agricultural family, the boy started work in his farm, and if it was an industrial family, the boy started work as an apprentice or a worker at the age of 13 or 14 and, therefore, there were adults and there were minors, but few adolescents.

The present phenomenon of adolescence is a direct result of the extension of education. Today, an increasingly large number of people all over the world stay in a state of tutelage for a longer period, they are pupils. A very interesting evidence of this is found in the way primary education has been extended throughout the West. When it was first introduced in 1792, primary education was compulsory only from the age of six to eleven. After about 30 years, it was extended to 12. In England it was made compulsory up to the age of 14 round about 1870. Today, they have increased it to 15, and there is a demand that it should be increased to 16. In America, it is already 16 and there is provision for education up to 18 almost on a universal scale. In the Soviet Union, there is compulsion up to the age of 14, but they are trying to push it up to the age of 16.

In our country, though the Constitution provides that there shall be compulsory education up to the age of 14, in fact, we have not gone beyond the age of 11, and even up to the age of 11, we have not been able to make it universal and compulsory.

So, the problem of adolescence, youth unrest and the desire of younger people to

[Shri Humayun Kabir]

participate has arisen as a result of the extension of the period of tutelage.

In this context, we have to recognise that young people have enthusiasm, idealism and a great deal of energy but they lack experience. In the increasingly complicated world of today where results of decision are not confined to any one country but any decision taken in one country can have very far-reaching effects throughout the world, the process of law-making and the process of parliamentary work has become far more arduous and far more difficult than at any time in the past. I remember a very interesting conversation which I had with President Sukarno in the days when he was still in the height of his power. In 1958 he told me that he had introduced a very interesting system of franchise in Indonesia. For those who had finished college education, the vote was at the age of 21. For those who had finished secondary education, the vote was at the age of 25 ; for those who had finished elementary education, the vote was at the age of 30, and at 35, regardless of education, or property or any other qualification, every single individual had the right to vote, President Sukarno defended it by saying that by the time a man is 30 or 35, experience has taught him a great deal and, therefore, in the school of life he has learnt what he has not learnt in school. But, for a college graduate at the age of 21, even though he lacks experience, he has acquired a great deal of knowledge, and, therefore, that knowledge to a certain extent compensates for the lack of experience, and similarly with regard to secondary and elementary education.

However, this Bill is a very interesting Bill, and I would, therefore, support Shri Madhu Limaye's amendment that the Bill be circulated for eliciting opinion thereon, because the process of eliciting of opinion will itself be an educative process.

Two very important measures are being suggested here which will have very far-reaching consequences. We should not, therefore, rush the measures, and I hope my young friend, the Mover of the Resolution will accept this idea of circulation. It means that his Bill remains alive. If there is wide support throughout the country for this Bill--there will be—probably with some modifications the Bill may be accepted. It may be 18 or 19 or 20 ; these limits are all arbitrary. On his 20th year, 364th day a person remains minor ; the next day how does he become an adult, a major and wise ? Some arbitrary limit has to be there. I hope, therefore, that my hon. friend will accept the motion for circulation because this is an interesting Bill and raises very important issues. With these words I give my qualified support.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. CHAIRMAN : I am sorry it is not possible to accommodate more Members because we have to finish consideration of this Bill at 6 O'clock. Some Members have woken up to the importance of the Bill very late.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : You have a right to extend the time by half an hour.

MR. CHAIRMAN : I shall call one or two Members; they may conclude their remarks in 3 or 4 minutes—maximum five minutes.

SHRI NAMBIAR : I am very much in agreement with the Mover of the Bill and I congratulate Kameshwar Singhji, young and energetic Member, for bringing this Bill. I request him to accept the motion for circulation as suggested by my learned friend on this side. We like to strengthen democracy in such a way that nobody is powerful to topple it. That is the purpose for which we must strengthen it. Take the question of the Prime Minister. It does not require much of an argument; the Prime Minister must be a person directly elected by the people. Indirect election or coming through the backdoor of the upper House is not proper. My party wants to abolish the upper House as a whole. Therefore the Prime Minister being brought in by the backdoor is not acceptable to my party. That disposes of the first part of the question.

About the second part, we also do not want the Chief Minister through the back door. As suggested by Shri Kabir, if there is need to bring in some body from the open

streets to the legislature, we can allow it to be done and within six months he can get elected by asking a member of his party to resign his seat.

We may appreciate it. But the Minister of Law and the Government of India must accept it. Otherwise, what is the use of exercising our lungs ? The Law Minister has already decided what reply he should give. We should consider that we have succeeded if they agree for circulation.

Coming to the last point of franchise, it has to be broadened by including the boys and girls who belong to those three years. One can argue both ways; one can say that at the age of eighteen one may not be mature enough to take a political decision as to which Government should be there. There is another argument; when once you give property rights, and employment rights why not this right ? He becomes an adult at 18; he has a right to buy and sell property; he can appear in a court and join the army and defend the country or work in an industrial factory. When all these rights are given, why should they be cut out from the political field ? Therefore, franchise must be given to them.

But our elders have got a fear : I am also in that, with grey hairs. The fear is, if youngsters come in, they may do something awful, and the whole country may blow up. People have that fear. But nothing is to be feared. The sky is not going to fall and if youngsters are also to co-operate and brought into the limelight and made to shoulder the responsibility of the Government, it will solve many problems. They can be told that many of the economic evils are due to so many reasons, and the boys can understand it. Let us do it, and let us not live in an orbit of fear complex always obsessed by the feeling that there will be a danger whenever a new thing is brought in.

I think that this Bill is a very laudable one, and our young Member must be appreciated and congratulated for taking this opportunity and in bringing this point to the limelight. I request the hon. Law Minister : my request to him may not have much weight, but still, I am in duty bound to request him and say that at least he must allow it to go for circulation.

श्री शिव नारायण (बस्ती): दिल्ली में 57 कालेजों में माक पार्लिमेंट्स होती हैं। उनमें जो बच्चे चौदह बरस के नीचे के हैं वे वातौर मिनिस्टरों के और प्रधान मंत्री के बहुत अच्छा पार्ट अदा करते हैं। उनको बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग इसकी मिल रही है। बहुत तरीके से वे इन माक पार्लियामेंट्स को चलाते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है। यह कहा जाता है कि फैमिली में लड़का बारह वर्ष का हो जाए तो बाप के बराबर उसको समझा जाए। बाप उससे सलाह लेता है। जब आप देश में प्रजातंत्र चला रहे हैं तो आपको अपने बच्चों को प्रजातंत्र की ट्रेनिंग देनी होगी। जो ट्रेनिंग इन माक पार्लियामेंट्स के द्वारा दी जा रही है उसका फाइनल कम्पीटीशन 11-12 मई को दिल्ली में होगा। I request the Law Minister to be there and see to this.

They will try their level best to become great.

यह ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। हमको डैमोक्रेसी को सरवाइव करना है। बाप के बाद बेटे को चार्ज लेना होता है। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को और नौजवानों को इस लायक बनाया जाए कि वे चार्ज लें। यंग मैम्बर ने आपको बहुत सही सलाह दी है। वह अठारह घन्टे काम कर सकते हैं। हम जो साठ वर्ष के हो गए हैं वे अठारह घंटे काम नहीं कर सकते हैं। वे अठारह घंटे जग सकते हैं, हम नहीं जग सकते हैं। आज दुनिया भर में और जिसमें भारत भी है एजीटेशन चल रहा है। आप को चाहिये कि आप अठारह वर्ष की उम्र कर दें। नौजवानों को कहें Be prepared to shoulder the responsibility of the State Government; be prepared to become the Prime Minister or the Finance Minister. वे समझेंगे कि हमको कल को गवर्नमेंट बनानी है। हमको रिसपांसिबिलिटी शोल्डर करनी है।

[श्री शिव नारायण]

आप देखेंगे कि उस अवस्था में उनमें से अनुशासनहीनता खत्म हो जाएगी । वे वर्डन को समझेंगे, जिम्मेदारी को समझेंगे और उसका निर्वाह करने के काविल अपने आपको बनायेंगे, उसकी तैयारी करेंगे ।

I went to a college. I saw young boy who can totally replace Morarjibhai.

ऐसा फाइन बजट पेश किया, इस तरह से पेश किया कि तबियत हरी हो गई । यंग मैम्बर ने जो ख्याल जाहिर किये हैं सही किये हैं। सही विल वह लाये हैं । मैं भंडारे साहब के साथ एग्री नहीं करता हूं ।

जहां तक चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का सवाल है उनको अपर हाउसिस से लेना, वैकडोर से लेना मुनासिव नहीं है। बंगाल गवर्नमेंट को मैं बधाई देता हूं। उसने अपर हाउस का जो वायकाट किया है, वह बहुत अच्छा किया है । मैं उनकी तारीफ़ करता हूं । मैं गवर्नमैंट से प्रार्थना करता हूं कि सारे अपर हाउसिस को, राज्य सभा को तथा कांसिल्ज को मुल्क भर में खत्म कर देना चाहिये। यह पैंशन उनको न दी जाए । जो काम करने लायक हैं और जो साठ सत्तर मील दौड़ सकते हैं, उनको काम करने का मौका दें । तभी प्रजातंत्र पनपेगा। यह हमारा कहना नहीं है । यह कामन मैन इन दी स्ट्रीट का कहना है, कामन पीपल का कहना है । अपर हाउसिस आपने क्यों रखे हैं । ये एक वर्डन हैं, बोझ हैं । आप यह भी देखें कि 55 वर्ष के बाद हम हर अफसर को रिटायर कर देते हैं। उन लोगों को एक बड़ा ग्रज है। वे कहते हैं कि सत्तर वर्ष का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना रह सकता है, मिनिस्टर बना रह सकता है और हमको रिटायर कर दिया जाता है । आप अठारह वर्ष वालों को चांस दें ।

Have a young Government here. We will have a young Government now.

यह बहुत बढ़िया बात होगी । अभिमन्यु बन कर वे आएंगे और देश की रक्षा करेंगे। लक्ष्मण बन कर वे आयेंगे और तब पाकिस्तान को भी वे समझ लेंगे और चीन को भी समझ लेंगे। ये लोग देश की रक्षा करने में जुट जायेंगे, डट जायेंगे ।

जो प्रस्ताव वह लाए हैं, वह बहुत सुन्दर है । ला मिनिस्टर अपनी ग्रे दाढ़ी की तरफ न जायें । पके बालों की तरफ न जायें । इन बूढ़ों की रक्षा करने की फिक्र वह न करें। नौजवानों को चार्ज देने के लिए उनको वह तैयार करें। मैं पालियामेंट और गवर्नमेंट को इनविटेशन देता हूं कि जब तमन्ना हो, कोई मेरे साथ इन कालेजों में चले और देखे कि आज हमारे नौजवानों का स्तर कितना ऊंचा है । पालिया-मेंटरी स्फेयर्ज के मिनिस्टर और उनका सेक्रेटे-रियट हमेशा मुझे वहां पकड़ कर ले जाते हैं। अपना जजमेंट देने के बाद मैं उन लोगों को समझाता हूं कि What is the duty of the opposition and what is the duty of the Government ? It is the duty of the opposition to oppose the Government and it is the duty of the Government to protect the country.

श्री मधु लिमये ने यह प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को सर्कुलेशन के लिये भेज दिया जाये । मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि उस में वहुत समय लग जायेगा । ज्यादा से ज्यादा इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये ।

आज यूनिवर्सिटी और कालेज का हर बच्चा रिसपोंसीविलिटी शोल्डर करने के लिये तैयार है। यह सुझाव मान लेने से मुल्क में इनडि-सिप्लिन खत्म होगा और हमारे लड़के मेहनत करके आयेंगे ।

मैं इस सुझाव का भी समर्थन करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ़ मिनिस्टर इलेक्टिड मैम्वर्ज होने चाहिएं ।

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : What about other ministers ? They must also be elected.

SHRI SHEO NARAIN : We are having a Government of the people, by the people and for the people.

अगर चीफ़ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इलैक्टिड मेम्बर्ज होंगे, तो पब्लिक का उन पर ज्यादा कान्फ़िडेंस होगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सदस्य, श्री कामेश्वर सिंह, ने संविधान के संशोधन सम्बन्धी यह बिल रखा है। मालूम नहीं, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है।

श्री शिव नारायण : कहां विरोध हो रहा है ?

श्री रामावतार शास्त्री : अभी सरकार विरोध करेगी ?

जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो हमारे यही नौनिहाल, जिनके लिए हम मांग कर रहे हैं कि मतदान करने की उम्र इक्कीस साल से कम करके अठारह साल कर दी जाये, सबसे अगली पंक्ति में थे। 1942 का आन्दोलन हो या कोई दूसरा राष्ट्रीय आन्दोलन, जनता के सवालों को लेकर या समाज के सुधार या राजनैतिक सुधार के सिलसिले में जितने आन्दोलन हुए उनमें यही नौजवान सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे और सब प्रकार कुर्बानियां देते थे।

जब हम सब पार्टियों के लोग इलक्शन लड़ते हैं, तब हम उनको तो मतदान का हक देते नहीं, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि वे हमारे लिए वोट मांगें। उसके लिए वे योग्य हैं, लेकिन खुद वोट देने के योग्य वे नहीं माने जाते हैं। उनका इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन जब उन्हें वोट देने का अधिकार देने की बात होती है, तो बहुत से लोग, और खास तौर से रूलिंग पार्टी, शासनारूढ़ दल के लोग उसका विरोध करते हैं।

18 hrs.

कई माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है, देश की सुरक्षा का सवाल हो, हमारे मुल्क पर चीन या पाकिस्तान का हमला हो, जन-जागरण पैदा करना हो या जनता को अपने देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में जाग्रत करना हो, उन सब में यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों-कालेजों के यही नौजवान सबसे आगे रहते हैं। ये लोग सबसे आगे बढ़ कर देश की रक्षा और देश के नवनिर्माण के लिए काम करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि उन्हें हम वोट के अधिकार से महरूम रखें। कायदे के मुताबिक, अमल में तो हम उनको महरूम रखते हैं लेकिन जब वोट का समय आता है तो हम दस-दस वर्ष के बच्चों से बोगस वोट दिलवाते हैं और इनमें से ज्यादा लोगों से हम वोट दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो हम इस गलत रास्ते पर उनको खुद ले जाना चाहते हैं और कहते हैं कि इन्डिसिप्लिन है, इनका मारल गड़बड़ हो गया है। अगर उनसे हम मारल की आशा करते हैं तो उनको अधिकार तो दीजिए। केवल उनके कर्त्तव्य ही की बात है या अधिकार भी होगा ? कर्त्तव्य के साथ-साथ अधिकार भी देना चाहिए ताकि वे समझें कि शासन व्यवस्था में उन्हें हिस्सा लेना है और वे अपने आदमियों को चुन कर असेम्बली और पार्लियामेंट में भेजें। अभी आप 25 वर्ष से कम उम्र वालों को खड़े नहीं होने देते। उनकी एज की लिमिट भी कम कीजिए, 21 वर्ष कीजिए तो इस तरह के नवजवान आएंगे जैसे हमारे साथी कामेश्वर सिंह जी हैं। इस तरह के लोगों को लाना चाहिए। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

जो यह सवाल उठाया गया कि यहां भी और राज्यों में भी अपर हाउस को हटा देना चाहिए, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह केवल धन का दुरुपयोग है और कुछ लोगों को पेंशन देने का वह स्थान है। तो इनको भी हटा देना चाहिए। मैं सबके लिए कह रहा हूं। आप मान जायं, हमने तो मानकर दिखा दिया। बंगाल में हमने करके दिखा दिया कि हम उसका अन्त करना चाहते हैं। यहां से अन्त होना चाहिए। उससे पैसे की बचत होगी और फिर काम में जो

[श्री रामावतार शास्त्री]

विलम्ब होता है कि एक बार यहां से पास हो फिर वहां पास हो, वह विलम्ब भी खत्म हो जायगा। देश का काम भी ज्यादा होगा। और बैक डोर से प्रधान मंत्री या दूसरे मंत्री जो चले आते हैं, उनके आने का बैकडोर का रास्ता भी बन्द हो जायगा। इसीलिए मैं इस बिल की भावनाओं का समर्थन करते हुए श्री मधु लिमये जी ने जो इसे प्रसारित करने का संशोधन दिया है, उसका समर्थन करता हूं और मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय जहां तक 18 साल के युवकों और युवतियों को वोट देने का सवाल है इसके बारे में अब दो राय नहीं होनी चाहिए। मुझे पता नहीं कि इस वक्त कांग्रेस के संविधान में क्या बात है। लेकिन जब कांग्रेस आजादी के लिए लड़ रही थी तब 18 साल की जिनकी उम्र थी, ऐसे सब नवयुवकों को कांग्रेस का सदस्य बनने का अधिकार था। बल्कि मेरे जैसे आदमी तो गैर-कानूनी ढंग से कांग्रेस के सदस्य बनते थे क्योंकि मेरी उम्र 18 साल की नहीं थी। ...(**व्यवधान**)...

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज) : आज भी 18 साल है।

श्री मधु लिमये : आज 18 साल कहाँ है ? आज 18 साल होता तो आप वहाँ बैठते ?

डा० महादेव प्रसाद : कांग्रेस के लिए मैंने कहा।

श्री मधु लिमये : वह तो अच्छी बात है। तो मेरे कहने का मतलव यह है कि जब राजनीतिक दलों की सदस्यता 18 वर्ष के युवकों और युवतियों के लिए खुली है जैसे हमारे दल की है तो क्या वजह है कि उनको वोट देने का हम अधिकार न दें ? वोट देना तो एक बहुत मामूली बात है। इसलिए अब तो इस पर बिलकुल बहस नहीं होनी चाहिए और मैं मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि इसको अगर आप पास करने जा रहे हैं तब तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूँ। लेकिन अगर पास करने को तैयार नहीं हैं तो कम से कम मैं आप से निवेदन करूंगा कि इसको प्रसारित करने का जो सुझाव है उसको आप मान लें।

अब इस विधेयक में एक और महत्वपूर्ण बात है—जो मुख्य मंत्री हों या प्रधान मंत्री हों वह विधान सभा या लोक सभा के सदस्य हों। असल में सारी चीजें तो संविधान में आती नहीं। संविधान का जो भावार्थ है उसको अगर हम मद्दे-नजर रखते तो कभी किसी भी गैर-विधान सभा के सदस्य को या गैर-लोक सभा के सदस्य को मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन खेद की बात है कि नये संविधान के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो सबसे पहले संविधान के भावार्थ की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की और राजाजी ने की। राजाजी न केवल विधान सभा के सदस्य नहीं थे, वरिष्ट सदन के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन आप दल-बदलुओं के जरिये अपनी हुकूमत पुराने मद्रास राज्य में जमाना चाहते थे, इसलिये राजाजी को न्योता देकर आपने बुलाया। यह सबसे बड़ा पाप आपने संविधान के अन्दर पहला चुनाव होने के बाद किया और पुराने मद्रास राज्य में किया और फिर उसके बाद उसी की पुनरावृत्ति यहां केन्द्र में हुई, जब आपने 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद एक ऐसे व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाया जो इस सदन की सदस्य नहीं थी। जो लोग यहां पर बैठे हैं, उनमें से कुछ लोग 1966 में भी इस सदन में थे—उनको याद होगा कि प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के आने के बाद जब पहला वोट यहां पर हुआ तो मैंने आपत्ति उठाई थी कि प्रधान मंत्री को यहां बैठने का अधिकार नहीं है और यह सब गलत हो रहा है। आप संविधान की धारा 164 को देखिये, उसी तरह की धारा केन्द्र के लिये भी है। प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री मंत्री-परिषद् का

प्रमुख होता है, सारे मंत्रियों का चयन उनकी सलाह से होता है और उसका दायित्व लोक सभा या विधान सभा के प्रति होता है। तो जब किसी सरकार का प्रमुख लोक सभा या विधान सभा का सदस्य ही न हो, तो इसका मतलब है कि आप धारा 164 को एक दम खत्म कर रहे हैं।...

श्री शिव नारायण : 164 धारा क्या है ?

श्री मधु लिमये : मुख्य मंत्री के नेतृत्व में या प्रधान मंत्री के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद् बनती है, उसके दायित्व के प्रति है। आप यह भी देखिये कि नो-कान्फिडेंस का प्रस्ताव यहां आता है, उसी तरह से विधान सभा में आता है, राज्य सभा में नहीं आता है। इसलिए यह बहुत गलत काम केन्द्र में हुआ है। डिफेक्शन्ज़ कमेटी में भी यह बात आई थी और मेरा ख्याल है कि अधिक से अधिक लोग इस राय के थे कि भविष्य में इस तरह का इन्तज़ाम किया जाय। तब मेरी समझ में नहीं आता है कि कानून मंत्री इस बात को तत्काल कुबूल क्यों नहीं करते हैं, जब कि डिफेक्शन कमेटी में इसके बारे में एक राय थी, शायद हमारे डी० एम० के० के कुछ सदस्यों को छोड़ कर करीब-करीब हम सब इसके बारे में मुत्तफिक थे। जब ऐसी बात थी तो क्या मंत्री महोदय इस बात की घोषणा करेंगे कि इस बिल के सिद्धान्त को हम कुबूल करते हैं—एक तो प्रसारित करने का जो प्रस्ताव है उसको माना जाय या इसके सिद्धान्त को कुबूल कर इस सम्बन्ध में वह स्वयं इस तरह का विधेयक लायें। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी किया है—मंत्री के आश्वासन पर कम्पनी वाला विधेयक वापस लिया था, इसको वापस लेने के लिये हम विचार करेंगे। लेकिन स्पष्ट आश्वासन आना चाहिये कि इस बिल के सिद्धान्त को आप स्वीकार करते हैं।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

MR. CHAIRMAN : The bell is being rung...

There is no quorum. The House stands adjourned till 11 A. M. on Monday.

18.12 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 5, 1969 Vaisakha 15, 1891 (*Saka*).

Printed at Navin Press, Delhi-6.